

प्रेषक,  
जिला विद्यालय निरीक्षक,  
लखनऊ।

सेवा में,  
प्रबन्धक / प्रधानाचार्य  
समस्त माध्यमिक विद्यालय,  
समस्त बोर्ड, लखनऊ।

पत्रांक / विवि/कोविड-19/ 324245 /2021-22 दिनांक 09 अगस्त, 2021

विषय:- कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जनपद में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा-9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों को पठन-पाठन हेतु भौतिक रूप से खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज के पत्रांक मा०शि०प०/शोध-11/64, दिनांक 03-08-2021 के साथ संलग्न शासनदेश सं०-1497/15-7-2020-1(52)/2021 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 02-08-2021 के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक विवि/कोविड-19/3001-04/2021-22, दिनांक 03-08-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए जनपद में संचालित समस्त बोर्डों के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-09 से 12 तक पठन-पाठन हेतु दिनांक 15-08-2021 से खोले जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः पुनः आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत कोविड-19 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेशों एवं एस०ओ०पी० गाइड लाइन का अक्षरशः पालन करते हुए शासनादेश के अनुसार पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ०(मुकेश कुमार सिंह)  
जिला विद्यालय निरीक्षक,  
लखनऊ

पृ०सं०/विवि/कोविड-19/ 324245 /2021-22 तददिनांक  
प्रतिलिपि - निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
1- जिलाधिकारी, लखनऊ।  
2- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ०प्र० लखनऊ।  
3- संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,  
लखनऊ

दो गज की दूरी, मास्क भी है जरूरी।